प्रेस नोट दिनांक-11.09.2020

इटावा पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री करने वाले 05 शातिर अभियुक्तो को अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन मे चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा एवं क्षेत्राधिकारी नगर के मार्गदर्शन में एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा 05 शातिर अपराधियो को अवैध शराब की तस्करी करते हुए अवैध शराब सहित किया गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 10/11.09.2020 की रात्रि को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा संदग्धि व्यक्ति/वाहन चोकिंग की जा रही थी तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि एक यामाहा मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति कचौरा रोड पर कचौरा घाट की तरफ से इटावा की तरफ आ रहे है ,जिनके पास अवैध शराब है एवं इनके पीछे एक टेम्पो भी आ रहा है उसमें भी अवैध शराब रखी हुयी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए कचौरा रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज पर चैकिग की जाने लगी तभी एक यामाहा मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये एवं उनके पीछे एक टेम्पो भी आता हुया दिखायी दिया जिनको एसओजी इटावा व थाना सिविल लाइन की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो द्वारा मोटरसाइकिल को पीछे मोडकर भागने का प्रयास किया जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेरकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो उनके पास से मोटरसाइकिल के बीच में 02 कार्टून रखे मिले जिनको खोलकर देखा गया तो उसमें 100 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुयी एवं पीछे आता हुया टेम्पो को रोक कर तलाशी ली गयी तो टेम्पो के अन्दर 15 कार्टून देशी शराब(कुल 720 क्वार्टर) के बरामद हुए। उक्त शराब व मोटरसाइकिल के लाइसेंस एवं जरूरी प्रपत्र मांगने पर उक्त व्यक्तियो द्वारा असमर्थता जतायी गयी। पुलिस टीम द्वारा उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 346/20 धारा 60,60(1),63,72 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया एवं मोटरसाइकिल व टेम्पो को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. संदीप कुमार पुत्र मनोज बाबू निवासी तोडा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
2. जयवीर पुत्र रूपसिंह निवासी लुहन्ना थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
3. मौ0 फैजान पुत्र स्व0 मो0 फरियाद निवासी जैतपुर थाना जैतपुर जनपद आगरा।
4. रियान पुत्र इस्माइल निवासी महावीरगंज थाना भिंड कोतवाली जनपद भिंड।
5. विशाल पुत्र रघुवीर निवासी महावीरगंज थाना भिंड कोतवाली जनपद भिंड।

बरामदगी-

1. 820 क्वार्टर देशी शराब।
2. 01 टेम्पो।
3. 01 मोटरसाइकिल यामाहा।

पुलिस टीम- श्री सतेन्द्र यादव प्रभारी एसओजी, श्री वी.के. सिंह प्रभारी सर्विलांस, श्री राजकुमार शर्मा प्रभारी यातायात, श्री जीतेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष थाना सिविल लाइन मय टीम।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
इटावा